rehabilitate these uprooted refugees, the NDMC authorities and the police are subjecting these suffering people to further sufferings by demolishing their huts; harassing their children on false theft cases. I am really pained to see that the authorities, instead of showing sympathy and humanitarian attitude towards these people, are subjecting them to stell more harassment and hardships. These refugees have got every right to seek rehabilitation from the Government. Therefore, I urge upon the Government not to view this problem as a problem of encroachment but as a human problem and do something to rehabilitate these families so that they can live peacefully as human beings instead of living like cattle as at present.

(iii) Allocation of more rice to Kerala.

PROF. P. J. KURIEN (Mavelikara): The State of Kerala is deficient in food and it depends almost entirely on the central allocation of foodgrains to run its public distribution system. The staple food of Kerala being rice, there have been persistent demands for increased allocation of rice. In 1983 the Central Government had allotted 120,000 tonnes of rice and 35,000 tonnes of wheat per month for the months of August, September and October. As a matter of fact Kerala requires 210,000 tonnes of rice per month for distribution through ration shops. These figures highlight the huge gap between actual requirement and supply. The Government of India has been insisting that the people of Kerala should change their food habits and they should consume more wheat. Although some results have been achieved in this respect as is evident from the increased offtake of wheat, food habits developed over many centuries cannot be changed within a short period. Thus it will be found that increased allocation of wheat does not in the present circumstances provide a solution to the problem of food shortage in Kerela. Enhanced allocation of rice is the only answer.

I would request the Government to adopt a sympathetic attitude towards this problem and allot more rice to Kerala so that it could meet the legitimate requirements of the people.

(iv) Need to change education policy in the country.

श्री बिलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता को प्रकाश में लाना और उसमें अनुशासन लाना है। हमारी वर्तमान शिक्षा निरर्थक, निष्प्रयोजन एवं निरूद्देश्य हो चुकी है। आज शिक्षा में चरित्र नाम की चीज नहीं है और राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास होता जा रहा है। आज का शिक्षक वर्ग स्वयं ही लक्ष्यहीन एवं दिशाहीन है, वह विद्यार्थियों को शिक्षा ज्ञान दे सकेगा, कैसे उम्मीद की जाये।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 50 से अधिक कालेज हैं जिनका नियन्त्रण एक जगह से नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों से है। विश्वविद्यालय का पूर्ण नियन्त्रण न होने के कारण कुछ कालेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। सब जगह समान शिक्षा शर्तें नहीं हैं। समान सेवा शर्तों के लिए भी शिक्षकों और कर्मचारियों को आन्दोलन करना पड़ता है। सेवानिवृत्ति आयु भी सब में समान रूप से नहीं है। प्राइवेट स्कूल हैं, भले ही सरकार से अनुदान लेते हों, किन्तु सरकार का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। छात्रों से आए दिन चन्दा वसूलते हैं, शिक्षकों को पूरा भुगतान नहीं करते, प्रिंसिपल पूर्ण योग्यता वाले नहीं रखते और अध्यापक आए दिन बदलते रहते हैं जिनके कारण छात्रों के भविष्य के साथ केवल मजाक होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, सारे देश में समान शिक्षा प्रणाली और समान पुस्तक प्रणाली नहीं

(श्री रामविलास मुत्तेमवार)

अपनाई गई तो आने वाले पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, राष्ट्र का चरित्र गिरेगा।

(v) Demand for releasing more water in canals for integrating the drying crops in Kota and Boondi (Rajsthan).

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, कोटा व बूंदी जिले (राजस्थान) की रबी की फसलें नहरों में पानी न छोड़ने के कारण सूखने लग गयी हैं। कोटा के चम्बल बांध से दाहिनी व बाई मुख्य नहरों से कोटा-बूंदी जिलों की फसलों को पानी देना बतई बन्द किया हुआ है। नहरों की टेल पर तो बीज बोने तक के लिए पानी मुहैया नहीं कराया गया। शेष भूमि पर अभी तक केवल एक पानी मुश्किल से पहुंच पाया है, जिसके कारण फसलें सूखनी आरम्भ हो गयी हैं। मध्य प्रदेश को पानी देना बताकर कोटा और बूंदी जिले में नहरों को काफी समय से बन्द किया हुआ है ऐसी विषम परिस्थिति में जब कोटा व बूंदी जिले के चंबल सिंचित क्षेत्र में पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं, सम्पूर्ण उपलब्ध पानी प्राथमिकता पर कोटा बूंदी जिले की फसलें को दिए जाने की व्यवस्था की जाये।

(vi) Need to amend the Forest Act, 1980

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, वन-अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत निर्धारित नियम एवं उपनियमों के कारण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य जैसे सड़क, पेयजल योजना, विद्युतीकरण, पुल निर्माण, भवन निर्माण के कार्य लगभग ठप्प पड़ गए हैं। अधिनियम के पारित होने से पूर्व के वर्षों में स्वीकृत या अधिनिर्मित कार्य भी रुक गए हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ में सन् 1976-80 के मध्य स्वीकृत दर्जनों निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के अभाव में रुके पड़े हैं। 1981-82 में स्वीकृत मोटर मार्गों आदि के प्रस्ताव अभी भी संयुक्त सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार तक नहीं पहुंचे हैं। इन क्षेत्रों में नाम भूमि के अलावा समस्त वेनाप भूमि 1983 के एक नोटिफिकेशन के आधार पर सुरक्षित क्षेत्र मान लिया गया है। गरीब लोग मकान बनाने के लिए भूमि नहीं पा रहे हैं। इन क्षेत्रों में सर्वत्र एक व्यापक आक्रोश एवं असंतोष पैदा होता जा रहा है। लोग वनों की सुरक्षा के प्रति उदास हो रहे हैं। इस सब का दुष्प्रभाव हमारी वन संवर्धन नीति पर पड़ रहा है। जनता के सहयोग के बिना वनों को बचाना व सम्बर्धन असंभव है।

मेरा आग्रह है कि वर्तमान अधिनियम को संशोधित कर लिया जाए। केवल रिजर्व वन के संदर्भ में ही निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व के स्वीकृत कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में प्रक्रिया को अति सरल बनाना आवश्यक है।

नियम इस प्रकार के निर्धारित होने चाहिए कि समस्त प्रक्रिया में तीन माह से अधिक का समय न लगे तथा जिस भूमि में पेड़ न हों, उसके संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक न होवे।

———

12.20 hrs.

GENERAL BUDGET, 1984-85 — GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. SPEAKER : Now, we resume further discussion on the Budget (General). Shri Vairale,